रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED NO. D.(D).-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 1980/माघ 8, 1901

No. 40] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 1980/MAGHA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

धन-कर

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1980

का० आ० 75(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन-कर नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम धन-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1980 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. धनकर नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8अ के उपनियम (13) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) उसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास की किसी अवधि से दण्डादिष्ट किया गया है ; या

(ङ) उसे उसकी वृत्तिक हैसियत में —

(1) ऐसे मामले में जहां वह भारत में स्थापित किसी ऐसे संगम या संस्था का सदस्य है जिसका उद्देश्य ऐसे संगम या संस्था द्वारा इंजीनियरी, वास्तुशिल्प, लेखाकर्म या कम्पनी सचिवों की वृत्ति का या ऐसी अन्य वृत्ति का, जिसे बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन करना या उसे प्रोत्साहन देना है ; या

(2) किसी अन्य मामले में,

बोर्ड द्वारा नियम 8च से 8ठ में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे किसी अवचार का सिद्धदोष ठहराया गया है जो उसे बोर्ड की राय में मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अयोग्य बनाती है ।"

3. उक्त नियम के नियम 8खख का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियम के नियम 8ध के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"8ङ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक कब, धारा 34कध के प्रयोजनों के लिए अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार का दोषी ठहराया जाएगा —

अधिनियम की धारा 34कध के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार का दोषी समझा जाएगा यदि उसे,

(1) ऐसे मामले में, जहां वह भारत में स्थापित किसी ऐसे संगम या संस्था का सदस्य है जिसका उद्देश्य ऐसे संगम या संस्था द्वारा इंजीनियरी, वास्तुशिल्प, लेखाकर्म या कम्पनी सचिवों की वृत्ति का या ऐसी अन्य वृत्ति का, जिसे बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियंत्रण पर्यवेक्षण, विनियमन करना या उसे प्रोत्साहन देना है; या

(2) किसी अन्य मामले में, बोर्ड द्वारा नियम 8च से 8ठ में अधिक प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार दोषी पाया गया है ।

8च—आरोप पत्र : (1) यदि बोर्ड की, उसको प्राप्य जानकारी के आधार पर यह राय है कि कोई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या कोई अन्य व्यक्ति जो नियम 8क के उपनियम (13) के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है, और जिसने नियम 8ख के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में वृत्तिक अवचार का दोषी है तो वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निश्चित आरोपों की विरचना करेगा और आरोपों के समर्थन में अभिकथनों के विवरण के साथ आरोपों को लिखित रूप में उन्हें संसूचित करेगा ।

(2) आरोपपत्र और उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण की प्राप्ति पर उस व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन देने और यह अधिकथन करने की अपेक्षा की जाएगी कि क्या वह चाहता है कि उस की व्यक्तिगत सुनवाई की जाए ।

8छ—जांच अधिकारी : जब तक बोर्ड स्वयं जांच करने की प्रस्थापना न करे, वह जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त करेगा, जो धन-कर आयुक्त से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा और ऐसे जांच अधिकारी की नियुक्ति की सूचना, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसने मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया है ।

8ज—जांच अधिकारी के समक्ष कार्यवाही : (1) जांच अधिकारी, प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्राप्त हो जाने पर या यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा कोई कथन प्राप्त नहीं होता है जब ऐसे आरोपों की, जो स्वीकार नहीं किए गए हैं, जांच करेगा ।

(2) जांच अधिकारी, जांच के दौरान, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य लेगा जो आरोपों के संबंध में सुसंगत या तात्विक हैं ।

(3) उस व्यक्ति को जिसने मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को ऐसे साक्षियों की, जिनकी परीक्षा आरोपों के समर्थन में की गई है, प्रतिपरीक्षा करने का और वैयक्तिक रूप में साक्ष्य देने का हक होगा ।

(4) यदि जांच अधिकारी किसी साक्षी की परीक्षा इस आधार पर करने से इंकार करती है कि उसका साक्ष्य सुसंगत या तात्विक नहीं है तो वह अपने कारण लिखित रूप में लेखबद्ध करेगा ।

(5) जांच की समाप्ति पर, जांच अधिकारी प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष और उसके लिए कारण अभिलिखित करते हुए जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

8झ—बोर्ड का आदेश : (1) बोर्ड जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और जहां वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं होता है वहां वह अपनी असहमति के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

(2) यदि बोर्ड का, जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अपने निष्कर्षों के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या यथास्थिति ऐसा व्यक्ति जिसने मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में अवचार का दोषी है तो वह अधिनियम की धारा 34कघ के अधीन यह आदेश पारित करेगा कि रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक का नाम मूल्यांककों के रजिस्टर से हटा दिया जाए या, यथास्थिति, निदेश करेगा कि ऐसा व्यक्ति मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।

(3) बोर्ड, उपनियम (2) के अधीन अपना आदेश संसूचित करते समय यथा-स्थिति, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को या ऐसे व्यक्ति को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से यदि कोई असहमति हो तो उसके कारणों सहित अपने निष्कर्षों का एक विवरण देगा ।

8ञ—कोई जांच अधिकारी नियुक्त न किए जाने पर प्रक्रिया : पूर्वोक्त नियम में विहित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित तब लागू होगी जब बोर्ड जांच अधिकारी की नियुक्ति किए बिना स्वयं जांच करे ।

8ट—जांच अधिकारी की तबदीली : यदि किसी जांच के मध्य किसी जांच अधिकारी की तबदीली आवश्यक हो जाए तो बोर्ड किसी अन्य जांच अधिकारी को, जो धनकर आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, नियुक्त कर सकेगा और कार्यवाहियां उत्तरवर्ती जांच अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रम से जारी की जाएंगी जहां वे उसके पूर्ववर्ती जांच अधिकारी द्वारा छोड़ी गई थी ।

8ठ—बोर्ड और जांच अधिकारी की शक्तियां : नियम 8च से 8ट तक के नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड और जांच अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों की बाबत वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में विहित हैं, अर्थात् :—

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत किसी बैंककारी कम्पनी का कोई अधिकारी भी है, उपस्थित कराना और शपथ पर उनकी जांच करना ।

(ग) लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेजें पेश करने के लिए विवश करना ।

(घ) कमीशन जारी करना ।

8ड—कतिपय मामलों में विशिष्टियों का दिया जाना : जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 34कघ के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है या जिसने उक्त धारा के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, तत्पश्चात् किसी भी समय :—

(क) किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है, या

(ख) नियम 8क के उपनियम (13) के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (i) में विनिर्दिष्ट किसी संगम या संस्था द्वारा अपनी वृत्तिक हैसियत में अवचार का दोषी पाया जाता है,

तो वह यथास्थिति, ऐसी दोषसिद्धियन निष्कर्ष के पश्चात् उसकी विशिष्टियां बोर्ड को तुरन्त प्रज्ञापित करेगा ।"

[सं० 3158/फा० सं० 143(6)/79-टी० पी० एल०]

एस० एन० शिन्दे, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

WEALTH-TAX

New Delhi, the 28th January, 1980

S.O.75(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Wealth-tax Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Wealth-tax (Second Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In rule 8A of the Wealth-tax Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (13), for clause (d), the following clauses shall substituted, namely :—

"(d) he has been convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment; or

(e) he has been found guilty of misconduct in his professional capacity,—

(i) in a case where he is a member of any association or institution established in India having as its object the control, supervision, regulation or encouragement of the profession of engineering, architecture, accountancy, or company secretaries or such other profession as the Board may specify in this behalf by notification in the Official Gazette, by such association or institution; or

(ii) in any other case, by the Board in accordance with the procedure laid down in rules 8F to 8L, which, in the opinion of the Board, renders him unfit to be registered as a valuer.".

3. Rule 8BB of the said rules shall be omitted.

4. After rule 8D of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"8E. Registered valuer when to be guilty of misconduct in his professional capacity for purposes of section 34AD—For the purposes of section 34AD of the Act, a registered valuer shall be deemed to have been guilty of misconduct in his professional capacity if he has been found so guilty,—

(i) in a case where he is a member of any association or institution established in India having as its object the control, supervision, regulation or encouragement of the profession of engineering, architecture, accountancy, or company secretaries or such other profession as the Board may specify in this behalf by notification in the Official Gazette, by such association or institution; or

(ii) in any other case, by the Board in accordance with the procedure laid down in rules 8F to 8L.

8F Charge sheet.—(1) Where the Board, or the basis of information in its possession, is of the opinion that any registered valuer, or any other person, not being a person referred to in sub-clause (i) of clause (e) of sub-rule (13) of rule 8A, who has made an application for registration as a valuer under rule 8B, is guilty of professional misconduct in connection with any proceeding under any law for the time being in force, it shall frame definite charges against such person and shall communicate them in writing to him together with a statement of the allegations in support of the charges.

(2) On receipt of the charge sheet and the statement referred to in sub-rule (1), the person shall be required to submit within such time as may be specified by the Board, a written statement of his defence and also to state whether he desires to be heard in person.

8G. Inquiry Officer.—The Board shall, unless it proposes to conduct the inquiry itself, appoint an Inquiry Officer, not below the rank of a Commissioner of Wealth-tax, to conduct the inquiry and shall inform the registered valuer, or the person who has made the application for registration as a valuer, as the case may be, of the appointment of such an Inquiry Officer.

8H. Proceedings before Inquiry Officer.—

(1) On receipt of the written statement of defence, or if no such statement is received within the time specified, the Inquiry Officer shall inquire into such of the charges as are not admitted.

(2) The Inquiry Officer shall, in the course of the inquiry, consider such documentary evidence and take such oral evidence as may be relevant or material in regard to the charges.

(3) The person who has made an application for registration as a vluer, or, as the case may be, the registered valuer, shall be entitled to cross-examine the witnesses examined in support of the charges and to give evidence in person.

(4) If the Inquiry Officer declines to examine any witness on the ground that his evidence is not relevant or material, he shall record his reasons in writing.

(5) At the conclusion of the inquiry, the Inquiry Officer shall prepare a report of the inquiry, recording his findings on each of the charges together with the reasons therefor.

8 I. Order of the Board.—(1) The Board shall consider the report of the Inquiry Officer and record its findings on each charge and, where it does not agree with the finding of the Inquiry Officer, shall record the reasons for its disagreement.

(2) If the Board is satisfied on the basis of its findings on the Inquiry Officer's report that the registered valuer or as the case may be, the person who has made an application for registration as a valuer, is guilty of misconduct in connection with any proceeding under any law for the time being in force, it shall pass an order under section 34AD of the Act removing the name of the registered valuer from the register of valuers or, as the case may be, directing that the person shall not be registered as a valuer.

(3) The Board shall, while communicating its order under sub-rule (2), furnish to the registered valuer, or, as the case may be, the person, a copy of the report of the Inquiry Officer and a statement of its findings together with the reasons for disagreement, if any, with the findings of the Inquiry Officer.

8J. Procedure if no Inquiry Officer appointed.—

The procedure prescribed in the aforesaid rules shall, mutatis mutandis, apply when the Board itself conducts the inquiry without appointing on Inquiry Officer.

8K. Change of Inquiry Officer.—If a change of an Inquiry Officer becomes necessary in the midst of an inquiry, the Board may appoint any other Inquiry Officer not below the rank of a Commissioner of Wealth-tax and the proceedings shall be continued by the succeeding Inquiry Officer from the stage at which they were left by his predecessor.

8L. Powers of Board and Inquiry Officer.—For the purposes of any proceedings under rules 8F to 8K, the Board and the Inquiry Officer shall have the same powers as are vested in a Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) when trying a suit in respect of the following matters, namely :—

(a) discovery and inspection ;

(b) enforcing the attendance of any person, including any officer of a banking company and examining them on oath;

(c) compelling the production of books of account and other documents; and

(d) issuing commissions.

8M. Furnishing of Particulars in certain cases.—Where any person who is registered as a vaiuer under section 34AB or who has made an application for registration as a valuer under that section is, at any time thereafter,—

(a) convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment; or

(b) found guilty of misconduct in his professional capacity by any association or institution referred to in sub-clause (i) of clause (e) of sub-rule (13) of rule 8A.

he shall immediately after such conviction or, as the case may be, finding, intimate the particulars thereof to the Board.".

[No. 3158/F. No. 143(6)/79-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980